न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
70/प्रा0पत्र/2020	28.10.2020	06.11.2020

बद्रीलाल राठोर पुत्र श्री चतुर्भुज राठोर जाति तैली निवासी डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.......प्रार्थी

बनाम

1. सुनिता जैन पत्नी श्री राजेश कुमार जैन जाति महाजन निवासी डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:- श्री नन्द सिंह सोलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:-

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:-

1. यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1874/1849 रकबा 0.1619 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि ख0सं0 1873/1849 रकबा 0.1619 हैक्टेयर स्थित है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम हो रहीं थीं।
2. यह कि वर्तमान समय में तालेडा तहसील के खातेदारी भूमियों के रकबे व खसरा नक्शा ट्रेस के तरमीम व बीघा बिस्वा से हैक्टेयर में परिवर्तन करते हुये राजस्व रिकार्ड के पुनरीक्षण प्रविष्ठियो व कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन इन्द्राज का कार्य चल रहा है जो लगभग पूर्ण हो चुका है।
3. यह कि प्रार्थी ने दिनांक 7.8.2020 को प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के नक्शा ट्रेस की ऑनलाईन कम्प्यूटरकृत प्रतिलिपि प्राप्त की जिसमें प्रार्थी की कृषि भूमि को राजस्व नक्शे में पूर्व नक्शेनुसार तरमीम नहीं कर राजस्व नक्शे में जहॉ पश्चिम दिशा में प्रार्थी के खाते की भूमि तरमीम हो रहीं थी उस स्थान पर अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि के ख0सं0 1873/1849 अंकित कर दिये तथा अप्रार्थी सं0 1 की भूमि जो कि राजस्व नक्शे में पूर्व दिशा में स्थित थीं के स्थान पर प्रार्थी की भूमि के खसरा सं0 1874/1849 अंकित कर दिये। उक्त त्रुटि पूर्ण तरमीम कम्प्यूटर लिपिक के द्वारा सहवन से करदी गई है। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि राजस्व नक्शे में पूर्व दिशा की और तरमीम कर अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा प्रार्थी के अधिकारो को प्रभावित किया गया है।
4. यह कि प्रार्थी के द्वारा उक्त नक्शा तरमीम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने तहसीलदार तालेडा से निवेदन किया तो उन्होने श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मौखिक आदेश दिया। इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।
5. यह कि प्रार्थी को अधिकार है कि माननीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि के इन्द्राज को पूर्व के नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम का इन्द्राज दुरूस्त करावे।

उप खण्ड अधिकारी * तालेडा जिला बून्दी (राज.) *

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

6\. यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त वाद को सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है। कि वर्तमान राजस्व नक्शे में कृषि भूमि ख0सं0 1873/1849 वाके ग्राम डाबी के स्थान पर खसरा सं0 1874/1849 अंकित किया जावे तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा सं0 1874/1849 के स्थान पर खसरा सं0 1873/1849 अंकित कर इन्द्राज दुरूस्त करें।

अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे प्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी 1 की और से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे ही राजीनामा पेश किया जो निम्नप्रकार है– अप्रार्थी सं0 1 की और से एक राजीनामा पेश किया जो निम्न प्रकार है। उनवानी प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से एवं मौतबीर व्यक्तियों के समझाईस से राजीनामा हो गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट. को स्वीकार किये जाने में एवं प्रार्थना पत्र का अनुतोष प्रार्थी को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा प्रस्तुत करने में उभय पक्षों के मध्य किसी प्रकार की कोई दुःसन्धि नहीं है। अतः उपभय पक्षों की श्रीमान से प्रार्थना है कि उभय पक्षो के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित राजीनामा स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र का निर्णय करने की कृपा करे।

साक्ष्य में प्रार्थी की और नकल जमाबन्दी खाता सं0 265 ग्राम डाबी संवत् 2076, जमाबन्दी खाता सं0 146 ग्राम डाबी संवत् 2076, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम डाबी दिनांक 07.08.2020, नकल आंशिक नक्शा ट्रेस ग्राम डाबी दिनांक 01.10.2014 बद्रीलाल का आधार की प्रतियॉ पेश की।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी खाता सं0 265 ग्राम डाबी संवत् 2076, जमाबन्दी खाता सं0 146 ग्राम डाबी संवत् 2076 एवं पुर्व का नक्शा ट्रेस व वर्तमान तरमीम शुद्धा नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में खातेदार अप्रार्थी सं0 1 द्वारा खातेदारी भूमियो के रकबे व खसरा, नक्शा ट्रेस के तरमीम व बीघा बिस्वा से हेक्टयर में परिवर्तन करते हुए राजस्व रिकार्ड के पुनरीक्षण पृविष्टयों व कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन गलत इन्द्राज होना स्वीकार किया है। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व अन्य दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व नक्शे में कृषि भूमि ख0सं0 1873/1849 वाके ग्राम डाबी के स्थान पर खसरा सं0 1874/1849 तथा खसरा सं0 1874/1849 के स्थान पर खसरा सं0 1873/1849 अंकित होना पाया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व नक्शे में कृषि भूमि ख0सं0 1873/1849 वाके ग्राम डाबी के स्थान पर खसरा सं0 1874/1849 अंकित किया जावे तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा सं0 1874/1849 वाके ग्राम डाबी के स्थान पर खसरा सं0 1873/1849 अंकित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा
उप खण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज.)

Scanned with CamScanner